

भारत सरकार  
रेल मंत्रालय  
(रेलवे बोर्ड)

सं. 2008/टेली/आरसीआईएल/1/वाई-फाई/पार्ट

नई दिल्ली, दिनांक 31.7.2015

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक,  
रेलटेल कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि.  
प्लॉट नं. 143, इंस्टीट्यूशनल एरिया,  
गोल्ड शाक के सामने, सेक्टर-44,  
गुडगांव - 122003.

टेलीकॉम परिपत्र सं. 10/2015


विषय: 'बी' कोटि के सभी रेलवे स्टेशनों पर वाई-फाई की सुविधा का प्रावधान।

संदर्भ: (i) रेलवे बजट - 2015 की घोषणा।

(ii) इस कार्यालय का दिनांक 9.7.14 का समसंख्यक पत्र और दिनांक 14.10.14 और दिनांक 16.1.15 का उसका शुद्धिपत्र।

रेल बजट 2015 में "डिजिटल इण्डिया पहल" के अंतर्गत 'बी' कोटि के सभी स्टेशनों पर वाई-फाई की सुविधा का प्रावधान करने की घोषणा की गई थी। उपर्युक्त क्र. सं. (ii) में उल्लिखित अपने पत्र के तहत रेलवे बोर्ड ने 'ए1' और 'ए' कोटि के सभी स्टेशनों पर इस सुविधा का प्रावधान करने के लिए रेलटेल कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि. (आरसीआईएल) को आदेश दिया है।

अब, रेलवे बोर्ड ने 'बी' कोटि के सभी स्टेशनों पर वाई-फाई की सुविधा मुहैया कराने के लिए आरसीआईएल को पुनः आदेश देने का विनिश्चय किया है। यह सुविधा ऊपर क्रम. सं. (ii) में उल्लिखित 'ए1' कोटि के स्टेशनों के लिए जारी दिशा-निर्देश के अनुसार आरसीआईएल द्वारा मुहैया कराई जाएगी। आरसीआईएल को यह भी आदेश दिया जाता है कि वह बजट में की गई घोषणा के अनुपालन के लिए कार्य-योजना प्रस्तुत करे।


  
(शोभन चौधरी)


कार्यपालक निदेशक (टेली डिवे.)

ई-मेल: [edtd@rb.railnet.gov.in](mailto:edtd@rb.railnet.gov.in)

फैक्स :030-44198/011-23304198.

प्रतिलिपि : महाप्रबंधक, ~~राज्य~~ क्षेत्रीय रेलों को सूचनार्थ।



  
28/8/15  
(शोभन चौधरी)

कार्यपालक निदेशक (टेली डिवे.)

ई-मेल: [edtd@rb.railnet.gov.in](mailto:edtd@rb.railnet.gov.in)

फैक्स :030-44198/011-23304198.